न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 15/2024 (डूँगरपुर डिक्री)

1/1. श्री गटु पिता सवजी पारगी मीणा
1/2. श्री देवीलाल पिता सवजी पारगी मीणा
1/3. श्रीमती कडुव पत्नी सवजी पारगी मीणा
1/4. श्रीमती कंकु पिता सवजी पारगी मीणा
1/5. श्रीमती केसर पिता सवजी पारगी मीणा
1/6. श्रीमती तुलसी पिता सवजी पारगी मीणा
1/7. श्रीमती लली पिता सवजी पारगी मीणा
2. श्री कचरू पिता हरजी मीणा
3. श्री धुला पिता कोदरा मीणा
4/1. श्री पुँजा पिता हुरजी मीणा
5. श्री मनजी पिता देवा मीणा
6. श्री बदीया पिता देवा मीणा
7. श्री रतना पिता देवा मीणा
8/1. श्री लक्ष्मण पिता पेमजी मीणा
8/2. श्री भीखा पिता पेमजी मीणा
9. श्री बदीया पिता दलीया मीणा
10. श्री सोमा पिता दलीया मीणा
11. श्री भगवान पिता दलीया मीणा
12. श्री कुरीया पिता नाथु मीणा
13. श्री मगन पिता भाणजी पारगी मीणा
14. श्री विरमल पिता भाणजी पारगी मीणा,

सर्वनिवासी – ग्राम पाडवा, तहसील सागवाडा, जिला डूँगरपुर।

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्री मना पिता नगा मीणा
2/1/1. श्रीमती हाकेर पत्नी कचरू मीणा
2/1/2. श्री धर्मेश पिता कचरू मीणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:50:49 IST
Reason: SelfAttested

2/1/3. श्री अर्जेश पिता कचरू मीणा

2/1/4. सुश्री धापु पिता कचरू मीणा

2/1/5. सुश्री केला पिता कचरू मीणा

2/1/6. सुश्री काजु पिता कचरू मीणा

2/2. श्री मगन पिता अमरजी मीणा

2/3. श्री दिनेश पिता अमरजी मीणा

2/4. श्रीमती लसी पिता अमरजी मीणा

3/1. श्री लाला पिता नाथु मीणा

3/2. श्रीमती मणी पिता नाथु मीणा

3/3. श्रीमती कमला पिता नाथु मीणा,

सर्वनिवासी – ग्राम पाडवा, तहसील सागवाडा, जिला डूँगरपुर।

4. श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार सागवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

5. श्री उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

.....रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधि. सागवाडा
दि॰ 13–08–2024 प्र0सं0 200/2017

———/———

उपस्थित :– 1. श्री लालसिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री दिनेश चन्द्र चौबिसा अभिभाषक रेस्पोन्डेंटगण

———::———

निर्णय **दिनांक 16–06–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पाडवा तहसील सागवाडा मे बन्दोबस्त 2001 एवं संवत् 2013 मे वादीगण के पिता हरजी, कोदरा, तोला, दलीया एवं प्रतिवादी नंबर 1, 2 के पिता नगा के नाम खाते शामलात देह खसरा नंबर 4029 रकबा 1 बीघा खसरा नंबर 4026 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 4030 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा तीन बीघा 4 बिस्वा भूमि अंकित है। इस प्रकार वादीगण के पिता हरजी, कोदरा, तोला, दलीया एवं प्रतिवादी नंबर 1, 2 के पिता नगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:49 IST
Reason: SelfAttested

का काश्त कब्जा अभी तक निरन्तर बेरोकटोक आज तक चला आ रहा है। खतौनी संवत् 2001 एवं 2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1, 2 के पिता हरजी, कोदरा, तोला, दलीया एवं नगा ने तथा वादीगण एवं प्रविवदीगण 1, 2 ने अभी भी उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण को हस्तान्तरित नहीं की है। बन्दोबस्त संवत् 2022 मे उपरोक्त आराजियात प्रतिवादी नंबर 1, 2 के साथ प्रतिवादी नंबर 3 नाथु के नाम बंदोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने गलत अंकित किया है। बंदोबस्त विभाग को बिना सक्षम आदेश के किसी प्रकार के इन्द्राज करने का अधिकार नही है। बंदोबस्त संवत् 2022 के खाता संख्या 574 प्रतिवादी नंबर 3 का नाम वादीगण के कब्जे काश्त के उपरोक्त खेत अंकित कर दिये जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। वादीगण के पिता हरजी, कोदरा, तोला, दलीया एवं प्रतिवादी नंबर 1, 2 के पिता नगा का देहान्त हो चुका है वादग्रस्त आराजियात पर उसके पुत्र वादीगण एवं प्रतिवादी नंबर 1, 2 अपने पितागण के समय से काबिज होकर आज दिन तक निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण एवं वादीगण के पिता हरजी, कोदरा, तोला, दलीया की सहमति के बिना उनकी जानकारी के बंदोबस्त विभाग द्वारा किये गये इन इन्द्राज से वादीगण के अधिकारो के भविष्य मे हानि पहुंचने की संभावना होने से भविष्य मे कई प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की संभावना बनी रहने से वादीगण खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी नंबर 3393 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रविवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाये।

2. प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयां कायम की गई तथा तनकीवार विवेचन करते हुये दिनांक 12–01–2016 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04–07–2017 को अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः प्रत्येक तनकीवार आख्यापक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:49 IST
Reason: SelfAttested

3. न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश की पालना मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर वादीगण का वाद दिनांक 13—08—2024 को खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील दिनांक 09—09—2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। जिस पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र चौबिसा उपस्थित हुए। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री लालसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्टगण ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकियों का साक्ष्य अनुसार विवेचन नही किया है जबकि अपीलान्ट वादीगण ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो से अपने वाद को पूर्ण रूप से साबित कराया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया की सेटलमेंट कर्मचारियों को पूर्व इन्द्राज को ही दोहराना होता है, बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के किसी प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार सेटलमेंट विभाग को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 04—07—2017 को दिये गये निर्देशों की पालना नहीं कि गई। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

6. उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करते हुये तनकीवार आख्यापक निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

7. हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्श 1 महकमा बंदोबस्त रियासत डूँगरपुर सवंत् 2001 से 2010 तक में विवा[illegible] 4026 व 4029 वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:50:49 IST
Reason: SelfAttested

के पूर्वाधिकारी हरजी, वक्ता, कोदरा, कुरिया, नगा, थावरा, तोला के नाम दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3 के अनुसार उक्त साबिक आराजी नंबरों से हाल आराजी नंबर 3393 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा बनना प्रमाणित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सबसे पुराने दस्तावेज खसरा गिरदावरी सवंत् 2013 प्रदर्श 6 के कॉलम संख्या 23 गत भू–माप में हरजी, कोदरा, कुरिया, नगा, दलिया, तोला का नाम दर्ज है, जबकि कॉलम संख्या 24 वर्तमान कृषक में नगा तल्द थावरा, नाथू वल्द वेचात कि प्रविष्टि कर दी गई है जो बिना किसी आधार के है। प्रदर्श 4 खतोनी बंदोबस्त भू–प्रबन्ध विभाग के खाता संख्या 574 हाल आराजी नंबर 3393 में कृषक का नाम नगा वल्द थावरा 1/2, नाथू वल्द वेचात दर्ज है। प्रदर्श 5 में आराजी नंबर 3393 अमरजी, मना पिता नगा 1/2, नाथू पिता वेचात 1/2 दर्ज है। खसरा गिरदावरी प्रदर्श 6 अनुसार गत भू–माप व वर्तमान भू–माप में वादीगण के पूर्वजों का नाम हटाकर प्रतिवादीगण के पूर्वजों का नाम दर्ज कर दिया गया है। प्रदर्श 2 दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है की गत भू–माप के काश्तकारों मे वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता का नाम ही अंकित था जबकि वर्तमान कृषक के कॉलम संख्या 24 मे नगा वल्द थावरा, नाथू वल्द वेचात अंकित कर दिया गया है। इसके बाद के समस्त दस्तावेजों मे कॉलम नंबर 24 मे कि गई प्रविष्टियां तथा इनके वारिसों की ही प्रविष्टियां है। सेटलमेंट विभाग द्वारा वादीगण के पूर्वाधिकारियों का नाम हटाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 का नाम अंकित कर दिया गया है, जो किस आधार पर किया गया है इसका कोई कारण अंकित नहीं है। सेटलमेंट विभाग को इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार नहीं है, उन्हें पूर्व प्रविष्टियों को ही दोहराना होता है, सिवाय तीन परिस्थितियों सक्षम न्यायालय का आदेश, हस्तान्तरण व विरासत। इन तीन परिस्थितियों के अलावा भू–प्रबन्ध विभाग को किसी प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा रियासतकाल मे प्रचलित वेट बेगार की प्रथा का उल्लेख करते हुये बताया की वादीगण के पूर्वजों द्वारा वेट बेगार नहीं की अतः गांव के सर्वणों ने वादीगण के पूर्वाधिकारियों से काश्त करवाना बन्द कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता तथा 3 के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:49 IST
Reason: SelfAttested

वेट बेगार कर रहे थे, किन्तु इन सब का कोई प्रमाण/दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों में वेट बेगार प्रथा आदि का उल्लेख नहीं हैं। सबसे पुरानें दस्तावेज में वादीगण के पूर्वजों का नाम अंकित था जो किस आधार पर हटाया गया इसका कोई विश्लेषण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में नहीं किया गया है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण हाने अपास्त योग्य है।

8. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 200/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–08–2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन को मध्यनजर रखते हुये उपलब्ध साक्ष्य सबूतो के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11–08–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 16–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:49 IST
Reason: SelfAttested